भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 110

उत्तर देने की तारीख जुलाई 21,2025

सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएं

110. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के ग्रामीणों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लक्षित करने वाली वर्तमान कौशल विकास योजनाओं (एसडीएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त पहलों से लाभान्वित ग्रामीण युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट कितना है:

(घ) सरकार की उक्त पहलों के अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्रों में स्थापित कौशल विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए इन प्रशिक्षण केन्द्रों तक सुलभ पहुंच बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशलीकरण और कौशलोन्नायन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) द्वारा कौशलोन्नायन और पुनः-कौशलीकरण प्रदान करता है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों, नव-साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य योग्य व्यक्तियों को आयु में उचित छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। ये आईटीआई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्व-रोज़गार प्रदान करना है।

(ख) बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**पीएमकेवीवाई**	**एनएपीएस****	**जेएसएस**	**सीटीएस**
2022-23	12,213	5,543	56,594	90,830
2023-24	23,583	5,317	37,7 86	1,25,625
2024-25	99,960	5,502	35,356	1,16,099

*नियुक्त प्रशिक्षु

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित कुल बजट निम्नानुसार है:

योजना का नाम	राशि (करोड़ रु में)
पीएमकेवीवाई	1915.00
एनएपीएस	600.00
जेएसएस	185.00

आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

(घ) सरकार की उक्त पहलों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में स्थापित कौशल विकास केंद्रों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

योजना	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
पीएमकेवीवाई	12838
एनएपीएस *	51346
जेएसएस	289
सीटीएस	14615

*एनएपीएस योजना के अंतर्गत, यह डेटा प्रतिष्ठानों की संख्या के लिए है ।

ङ) एमएसडीई ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

i. कौशल विकास पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य जागरूकता अभियान, कार्यशालाएँ और सामुदायिक सहभागिता पहल आयोजित करके आकाशवाणी (एआईआर), प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), MyGov और दूरदर्शन (डीडी) जैसे मंचों के माध्यम से भी किया जाता है।
ii. डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल तकनीक का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय ने कौशल संबंधी जानकारी और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित की है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ हुआ है।
iii. स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जानकारी और नामांकन चाहने वाले युवाओं के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन संसाधन के रूप में कार्य करता है। इस मंच के माध्यम से पहुँच में आसानी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
iv. राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (एनएएम) एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जो प्रतिष्ठानों और उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाता है, साथ ही भाग लेने वाली कंपनियों में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में युवाओं में जागरूकता भी बढ़ाता है।
v. स्थानीय कौशल आवश्यकताओं की पहचान और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों को प्रशिक्षण लक्ष्यों के आवंटन को सुगम बनाने के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) की भागीदारी।
vi. कम सुविधा वाले और ग्रामीण स्थानों में केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहित करना।
vii. ऐसे क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को लक्षित करते हुए विशेष परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
viii. पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षण संस्थानों में कौशल केंद्रों का संचालन।
ix. आकांक्षी जिलों/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को प्रशिक्षण लक्ष्यों का प्राथमिकता से आवंटन।
x. दूरदराज स्थानों में युवाओं तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय मोबिलाइजेशन चैनलों, जैसे पंचायतों और जन सेवा केन्द्रों का उपयोग।
xi. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ पंजीकृत संस्थानों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के दरवाजे पर अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान

करना है। इसके अलावा, जेएसएस आकांक्षी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, उत्तरपूर्वी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों में मौजूद हैं, जो इन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करते हैं।

xii. आईटीआई की स्थापना और प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विषय है, और जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए आईटीआई की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो संबद्धता मानकों और मानदंडों के अनुसार इसकी जांच और निर्णय लिया जाता है।

*****